BSWE-002
BSWE-004

समाज कार्य में स्नातक उपाधि

(बी.एस.डब्ल्यू.- द्वितीय वर्ष)

सत्रीय कार्य : 2014–15

पाठ्यक्रम शीर्षक

बी.एस.डब्ल्यू.ई.–002 : व्यक्तियों और समूहों के साथ समाज कार्य अंतःक्षेप

बी.एस.डब्ल्यू.ई.–004 : परिवार जीवन शिक्षा का परिचय

अध्ययन केंद्र में सत्रीय कार्य जमा कराने की अन्तिम तारीखः

जुलाई सत्र – मार्च 31, 2015

जनवरी सत्र – सितम्बर 30, 2015

इग्नू
जन-जन का विश्वविद्यालय

समाज कार्य विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–110 068

प्रिय विद्यार्थी,

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के बी.एस.डब्ल्यू. कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने समाज कार्य में स्नातक होने के लिए यह कार्यक्रम एक उद्देश्य के साथ चुना है ताकि आप हमारी मानवजाति की सामाजिक दशाएं सुधारने के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित कर सकें। बी.एस.डब्ल्यू. कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, कृपया निम्नलिखित बातों का पालन करें:

- अपना अध्ययन आरंभ करने से पहले कार्यक्रम दर्शिका को पढ़िए। इससे इग्नू के बी.एस.डब्ल्यू. अध्ययन करने के बारे में आपके अधिकतर संदेह दूर हो जाएंगे।
- आप अपने सत्रीय कार्य अपने अध्ययन केंद्र में समय पर जमा कराएं।
- अपने अध्ययन केंद्र और क्षेत्रीय केंद्र के संपर्क में रहें।
- परीक्षा फार्म समय पर भरें।
- अपने प्रयोगात्मक कार्य व्यावसायिक रूप से योग्य समाज कार्यकर्ता जिसके पास एम.एस.डब्ल्यू/ एम.ए. (समाज कार्य) की उपाधि हो और जिसे आपके अध्ययन केंद्र ने आपको उपलब्ध कराया हो केवल उसके मार्गदर्शन में ही करें।

बी.एस.डब्ल्यू. द्वितीय वर्ष के लिए आपको बी.एस.डब्ल्यू.ई.-002, बी.एस.डब्ल्यू.ई.-004 और अन्य आधार पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक का एक–एक अध्यापक जांच सत्रीय कार्य (टी.एम.ए.) करना होगा।

जुलाई 2007 सत्र से बी.एस.डब्ल्यू. के सभी विद्यार्थियों को क्षेत्र कार्य (समाज कार्य प्रैक्टिकम) : 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है जिसे आप निम्नलिखित से प्राप्त करेंगे :

(i) क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक, और (ii) बाह्य परीक्षक

समाज कार्य अभ्यास (प्रैक्टिकम) में उत्तीर्ण होने के आपके अवसर, उस पर्यवेक्षक पर निर्भर है जो आपका मार्गदर्शन करेगा। याद रखिए कि केवल योग्यता प्राप्त पर्यवेक्षक जिसके पास एम.एस.डब्ल्यू./एम.ए. (समाज कार्य) की उपाधि है, वही आपके क्षेत्र कार्य के लिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए पात्र है। यदि इस संबंध में आप कोई कठिनाई अनुभव करते हैं तो आप इसके बारे में अध्ययन केंद्र के अपने संचालक से चर्चा कर सकते हैं। आप समाज कार्य विद्यापीठ में डॉ. सायन्तनी,, कार्यक्रम संयोजक, ई–मेलः sayantani@ignou.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।

बीएसडब्ल्यू कार्यक्रम करने के लिए आपके पास 6 साल हैं। जर्नल जमा करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है। आप यह सुनिश्चित करें कि 6 वर्षों में आपने थ्योरी और प्रैक्टिम पूर्ण कर लिए हैं। आप अपना जर्नल अध्ययन केंद्र में किसी भी समय जमा कराने के लिए स्वतंत्र है। मूल्यांकन विभाग जर्नल का मूल्यांकन साल में दो बार यानि कि जून और दिसंबर के सत्रांत परीक्षा के साथ करता है। इस उद्देश्य के लिए आप जर्नल क्रमशः 30 मई और 30 नवंबर तक मूल्यांकन प्रभाग, इग्नू नई दिल्ली में अवश्य जमा करा दें।

आप अपना क्षेत्र कार्य जर्नल अपने क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक (Field Work Supervisor) के पास जमा करा सकते हैं। क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक आपकी रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के बाद इसे आपके अध्ययन केन्द्र के संचालक के पास भेज देगा ताकि यह कुलसचिव, विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, इं.गां.रा.मु.वि., मैदान गढ़ी, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा सके।

सत्रीय कार्य एक खुली किताब है और हम इग्नू में प्रत्येक पाठ्यक्रम के समग्र ग्रेड की गणना करते समय सत्रीय कार्यों के लिए 30% भारित देते हैं। सत्रीय कार्य हस्तलिखित और साफ तौर पर टाईप और स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए।

सत्रीय कार्य–प्रतिक्रिया का एक अच्छा सेट तैयार करने के लिए आप उन सभी अध्यायों को पढ़े जिनमें से सवाल तैयार किए गए हैं। आप अपने सहकर्मी शैक्षिक परामर्शदाताओं और प्रोफेसरों के साथ चर्चा करे जिन्होंने आपको पढ़ाया है। मसौदा तैयार करे, उस पर आवश्यक सुधार करे और तब अंतिम संस्करण अध्ययन केंद्र में प्रस्तुत करने के लिए तैयार करें।

हर सवाल का जवाब देने के लिए नया पृष्ठ शुरू करें। लंबे और मध्यम जवाब देने के एक परिचय है, मुख्य भाग के लिए एक उप–शीर्षक और एक निष्कर्ष हो। प्रत्येक अनुच्छेद के बीच एक लाईन छोड़े। आपके जवाब विशिष्ट हों और आपके अपने शब्दों में हो यह किताब की नकल ना हो। आपके उत्तर इग्नू के पठन सामग्री पर आधारित हों। सत्रीय कार्य आपके सत्रांत परीक्षा की तैयारी है, इसलिए इसे गंभीरतापूर्वक लें।

चूंकि समाज कार्य एक व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम है, इसलिए विद्यार्थियों को नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया (एन.ए.पी.एस.डब्ल्यू.आई.) में विद्यार्थी सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप www.napswi online.org पर लॉग ऑन कर सकते हैं। आप समाज कार्य और इससे जुड़े विषयों पर संबंधित सेमीनार, सम्मेलन और कार्यशाला में भाग भी लेना चाहेगें। NAPSWI e-journal आपको नियमित आधार पर अन्य सूचना के साथ–साथ यह जानकारी प्रदान करेगा जो समाज कार्यकर्ताओं और अर्ध–व्यावसायिकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

समाज कार्य विद्यापीठ द्वारा आयोजित किए जाने वाले सेमिनार, कान्फ्रेंसस और समाज कार्य व्यावसायिकों एवं विद्यार्थियों की बैठकों के बारे में जानकारी के लिए www.ignou.ac.in पर लॉग आन करें, विद्यापीठ पर क्लिक करें और फिर समाज कार्य विद्यापीठ पर क्लिक करें।

(डॉ. सायन्तनी गुइन)
कार्यक्रम संयोजक

व्यक्तियों और समूहों के साथ समाज कार्य अंतःक्षेप

सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम कोड : बी.एस.डब्ल्यू.ई.–002

कुल अंक : 100

नोट : i) सभी पाँचों प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ii) सभी पाँचों प्रश्नों के अंक समान हैं।

iii) प्रश्न संख्या **1** और **2** के उत्तर (प्रत्येक) **500** शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।

1. सामाजिक समूह कार्य के विभिन्न सिद्धांतों की उपयुक्त क्षेत्र कार्य के साथ संक्षेप में चर्चा कीजिए। 20

अथवा

भारत में वैयक्तिक कार्य में ऐतिहासिक विकास को बताइए। इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 20

2. स्वास्थ्य परिवेश में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका को समझाइए। 20

अथवा

प्रवास क्या है? भारत में प्रवास को प्रभावित करने वाले सामाजिक – सांस्कृति कारकों की चर्चा कीजिए। 20

3. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर **250** (प्रत्येक) शब्दों में दीजिए।

i) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व को पहचानिए। 10

ii) भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। 10

iii) भारत में सामाजिक रक्षा कार्यक्रम की सीमाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 10

iv) समुदाय को समझने में व्यवस्था अभिगम क्या है? 10

4. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक) **150** शब्दों में दीजिए।

i) जनहित याचिका क्या है? एक जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है? 5

ii) समाज कार्य के किन्हीं चार क्षेत्रों को सूचीबद्ध कीजिए। 5

iii) समूह प्रक्रिया के कोई दो आयामों को समझाइए। 5

iv) रिकॉर्डिंग के लिए दिशा निर्देशों को सूचीबद्ध कीजिए। 5

v) वैयक्तिक कार्य अभ्यास में शामिल कदमों को सूचीबद्ध कीजिए। 5

vi) एक कल्याणकारी राज्य की तीन समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 5

5 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर लगभग **100** शब्दों में दीजिए।

i) आदिवासी समुदाय की विशेषताएं 4

ii) औद्योगिक समाज कार्य 4

iii) व्यवहार संशोधन 4

iv) स्थानांतरण 4

v) अहं रक्षा तन्त्र 4

vi) संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम 4

vii) सामाजिक वैयक्तिक कार्य के मूल्य 4

viii) समूह गतिकी 4

परिवार जीवन शिक्षा का परिचय

सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम कोड : बी.एस.डब्ल्यू.ई.–004

कुल अंक : 100

नोट : i) सभी पाँचों प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ii) सभी पाँचों प्रश्नों के अंक समान हैं।
iii) प्रश्न संख्या **1** और **2** के उत्तर (प्रत्येक) **500** शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।

1. परिवार जीवन शिक्षा क्या है? परिवार जीवन शिक्षा में व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 20

अथवा

भारत में यौन स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व पर एक निबन्ध लिखिए। 20

2. विवाह का क्या अर्थ है? विवाह के कार्यों एवं उद्देश्यों को बताइए। 20

अथवा

बदलते समाज में युवाओं की कुछ चिन्ताओं को समझाइए। 20

3. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर **300** (प्रत्येक) शब्दों में दीजिए।
   a) किशोरावस्था के विकासात्मक पहलुओं का वर्णन कीजिए। 10
   b) परिवार एवं पितृत्व के लिए योजना की महत्ता की चर्चा कीजिए। 10
   c) परिवार जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। 10
   d) परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। 10

4. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं **चार** प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक) **150** शब्दों में दीजिए।
   a) तलाक से क्या निहितार्थ हैं? 5
   b) विभिन्न प्रकार के विवाह का वर्णन कीजिए। 5
   c) मॉस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धान्त को समझाइए। 5
   d) जीवन साथी के चयन में प्रमुख मापदण्ड क्या हैं? 5
   e) परिवार में मानव अधिकार मुद्दों को संक्षेप में समझाइए। 5
   f) गर्भपात से जुड़े कुछ भौतिक मुद्दों का उल्लेख कीजिए। 5

5 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर लगभग **100** शब्दों में दीजिए।
   a) पारिवारिक मूल्य 4
   d) MTP अधिनियम, 1971 4
   c) आनुवंशिकता एवं पर्यावरण 4
   d) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 4
   e) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1954 4
   f) वैवाहिक अधिकारों की बहाली 4
   g) नैतिकता 4
   h) पृथक्करण एवं शोक 4